

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं0 /2012/11(120)/XXVII(8)/2011  
दिनांक:: देहरादून :: ३ मई, 2012

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-  
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27. वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

### संशोधन

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक संख्या 28 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-

"28. मृतिका(कले) जिसमें अग्निसह मृतिका, महीन चीनी मिट्टी, गोला मृतिका तथा खपरैल भी सम्मिलित है।"

(राधा रत्नौड़ी)  
सचिव, वित्त।

सं0 15 /2012/11(120)/XXVII(8)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-एन0आई0सी0/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राधा रत्नौड़ी)  
सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 15 /2012/11(120)/XXVII(8)/2011 dated 3 May, 2012 for general information.

UTTARAKHAND SHASAN  
VITTA ANUBHAG-8  
No. 15 /2012/11(120)/XXVII(8)/2011  
Dehradun :: Dated: : 3 May, 2012

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule- II(B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

**Amendment**

In Schedule-II(B), for the existing entry at serial no. 28, the following entry shall be substituted; namely;

“28. Clay including fire clay, fine china clay, ball clay and khaprail.”

(Radha Raturi)

Secretary, Finance.